(66)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 565–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–1–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 42/15–16/अपील.

1– रिछपाल सिंह पुत्र दिलबाग सिंह
निवासी ग्राम सालवई
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2– बलजीत सिंह पुत्र दिलबाग सिंह
3– सतपाल सिंह पुत्र दिलबाग सिंह
निवासीगण ग्राम दोरार
तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर
4– श्रीमती बलजीत कौर बेवा दलजीत
5– हरजिन्दर सिंह पुत्र स्व. दलजीत सिंह
6– सुखविन्दर सिंह पुत्र स्व. दलजीत सिंह
7– हरविन्दर सिंह पुत्र स्व. दलजीत सिंह
निवासीगण ग्राम सालवाई
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
8– श्रीमती सर्वजीत कौर पत्नी स्व. जसपाल सिंह
निवासी ग्राम दौरार
तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

अमरजीत सिंह पुत्र तेज सिंह
निवासी ग्राम सालवाई
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, डबरा के समक्ष दिलबाग एवं अनावेदक अमरजीत सिंह द्वारा ग्राम सालवई तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित खाता क्रमांक 284 कुल किता 3 कुल रकबा 3.000 हेक्टेयर एवं खाता क्रमांक 910 किता 1 रकबा 0.115 हेक्टेयर के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27–8–2004 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–11–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–1–2017 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा केवल तकनीकी आधार पर कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण नहीं करने में भूल की गई है, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(2) अपर आयुक्त के समक्ष स्पष्ट था कि अनावेदक के हित में रकबा 0.125–0.125 के दो विक्रय पत्र सम्पादित हुए थे, जिसका कुल रकबा 0.250 हेक्टेयर है । इस प्रकार अनावेदक केवल रकबा 0.250 हेक्टेयर पर ही अपना स्वत्व रखता है, परन्तु बटवारे में उसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि प्राप्त कर ली गई है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की गई है ।

(3) अभिलेख से स्पष्ट है कि नामान्तरण आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष जन सुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुनकर तहसीलदार का नामान्तरण आदेश को रिव्यु में लेने के निर्देश दिये गये थे, जिसका पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है ।

(4) तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश था और विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि क्षेत्राधिकार रहित आदेश के सम्बन्ध में समय–सीमा लागू नहीं होती है और ऐसे प्रकरण में विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 359 (उच्च न्यायालय), 2001 आर.एन. 183 ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 340, 2005 आर.एन. 444, 1986 आर.एन. 1, 1991 आर.एन. 393 एवं 2010 आर.एन. 215 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी और उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण नहीं कर सीधे गुण–दोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई थी, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत बटवारा आदेश पारित किया गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई थी, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक कमांक 1 रिछपाल सिंह के पिता ने अनावेदक अमरजीत सिंह को केवल 0.250 हेक्टेयर भूमि विकय की गई है, परन्तु तहसीलदार ने बटवारा आदेश में सम्पूर्ण भूमि 2.781 हेक्टेयर अनावेदक अमरजीत सिंह को दे दी है, जबकि बटवारा भूमि के अन्तरण का तरीका नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये केवल इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा के बिन्दु का निराकरण नहीं किया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूरी तरह अवैध आदेश पर समय–सीमा का

बंधन नहीं रह जाता है । उपरोक्त स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर